



राप्रनिमं/क्षे.अ./अलवर/जी-354/

दिनांक:

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भारतमाला परियोजना (लोट 6/पैकेज 4) के तहत पनियाला-अलवर-बडोदामेव आर्थिक गलियारे, अन्तः गलियारे एवं फीडर मार्ग (Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder routes) के विकास हेतु परियोजना का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में 'मण्डल' के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं 01.12.2009 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, अलवर
 2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय -4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वाँ तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
 4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर
 6. आयुक्त नगर परिषद, अलवर
 7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, डी - ब्लॉक अम्बेडकर नगर, अलवर

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई दिनांक 02.09.2022 (शुक्रवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान-पंचायत भवन (भारत निर्माण राजीव गान्धी सेवा केन्द्र), ग्राम पंचायत झारखेडा, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर (राज0) के सभाकक्ष में उपस्थित होकर आप अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर में दिये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी